

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 26/2016

1. श्री महावीर प्रसाद जैन
2. श्री शान्ति लाल जैन
पुत्रगण श्री रोकड़चन्द जैन जाति महाजन निवासी ग्राम रामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोती सिंह पुत्र श्री लाडू सिंह जाति रावत निवासी देहपुरा(रामगढ़) तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. ग्राम पंचायत रामगढ़ जरिये सरपंच तहसील मसूदा जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

**प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 97
राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996**

उपस्थित :-

श्री राकेश अरोड़ा, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि श्री मोती सिंह पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी देहपुरा(रामगढ़) तहसील मसूदा जिला अजमेर द्वारा ग्राम पंचायत रामगढ़ के समक्ष आबादी भूमि का बापी पट्टा लेने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली क्रमांक 5 दिनांक 23.06.1990 निर्मित की जाकर पूर्ण वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् दिनांक 04.07.1990 को प्रार्थी के पक्ष में 6500 वर्गगज का आबादी का बापी पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पत्रावली क्रमांक 5 दिनांक 23.06.1990 की पालना में दिनांक 04.07.1990 को जारी आक्षेपीय पट्टे से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। निगरानी पेश होने पर रेस्पोंडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किए गये तथा अधिनस्थ न्यायालय का वांछित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ ने पत्र क्रमांक/G.P.P./2017-2018 /01 दिनांक 15.04.2017 से वांछित रेकार्ड ग्राम पंचायत रामगढ़ में उपलब्ध नहीं होने बाबत अवगत करवाया। न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी गुणावगुण पर निर्णित किये जाने का निश्चय किया गया।



अपर कलक्टर
अजमेर

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि तहसील ब्यावर के ग्राम रामगढ़ स्थित खसरा नम्बर 1524 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि का आवंटन विधिवत रूप से दिनांक 06.09.1984 को प्रार्थीगण के पिता रोकड़चन्द जैन के पक्ष में वास्ते चाह लीज जारी की गई है। उक्त लीज के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा चाह निर्माण कर उक्त चाह से अपने खातेदारी भूमि को सिंचाई कर विवादित भूमि का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। उन्होंने कथन किया कि उक्त खसरा नम्बर में से शेष भूमि 1 बीघा 18 बिस्वा दिनांक 15.10.1984 को ग्राम पंचायत रामगढ़ के नाम नामान्तरकरण संख्या 112 से खसरा नम्बर 1524/4226 अंकन कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को संभलायी जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटित भूमि में अप्रार्थी व अन्य के वारिसान के पक्ष में आक्षेपीय पट्टा जारी कर दिया है जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से एक ही परिवार के सदस्यों को पृथक-पृथक रूप से आबादी भूमि बापी पट्टा जारी कर दिया गया है जबकि एक परिवार के मुखिया के पक्ष में ही बापी पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक रूप से प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटित आराजियात को स्वयं के व अपने व परिवार के सदस्यों के नाम करवाने की नीयत से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत् बापी पट्टा जारी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अप्रार्थी एवं उनके वारिसान की जांच किये तथा बिना प्रार्थना पत्र का अवलोकन किए अवैधानिक रूप से नियमों के विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम प्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित आराजियात खसरा नम्बर 1524 में बापी पट्टा जारी किये जाने में अवैधानिक त्रुटि कारित की है जो कि प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनाधिकृत रूप से आबादी प्रयोजनार्थ आरक्षित रकबे से अधिक भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया है जो किसी भी रूप से संभावित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 140 से 150 के अनुसरण में पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु नीहित आराजियात के बाबत् ही पट्टा जारी किया जा सकेगा अथवा उक्त भूमि के सभी विक्रय संधारण तथा नीलामी के माध्यम से किए जावेंगे तथा जब तक ऐसा न करने के विशेष कारण न हो एवं उक्त बाबत् नियम 148 के अनुसरण में नोटिस जारी कर उसका प्रकाशन किया जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त नियमों के विपरीत प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में जारी लीज हेतु आवंटित आराजियात जो कि त्रुटिवश राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है बाबत् विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी के पक्ष में बापी पट्टे जारी किये गये हैं जो पृथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी आक्षेपीय पट्टे पर सरपंच, ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर भी नहीं है। उक्त पट्टा नियमों के विपरीत बिना किसी आधार के अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अवैधानिक रूप से जारी पट्टे के आधार पर प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में आवंटनशुदा आराजियात खसरा नम्बर 1524 में से 5 बिस्वा भूमि पर निर्मित कुएं को ध्वस्त कर निर्माण कार्य किए जाने पर प्रार्थीगण को आक्षेपित आदेश के बारे में जानकारी हुई जिस पर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद निगरानी माननीय



बजवेर
बजवेर

न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय बापी पट्टा निरस्त किया जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रामगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 1524 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से 5 बिस्वा भूमि का नियमन प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा चाह निर्माण हेतु लीज जारी कर भूमि का कब्जा संभला दिया गया। शेष रही 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत रामगढ़ के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 1524/4226 अंकित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि में श्री घीसा सिंह के पक्ष में 5984, श्री पूरन सिंह के पक्ष में 6500, श्री मोती सिंह के पक्ष में 6500, श्री अगर सिंह के पक्ष में 6500 व श्री लाडूसिंह के पक्ष में 5984 वर्गगज आबादी बापी पट्टे जारी किये गये हैं जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम वकील प्रार्थीगण के इन कथनों से सहमत हैं कि एक परिवार के केवल मुखिया के पक्ष में बापी पट्टा जारी किया जा सकता है, प्रत्येक सदस्य के पक्ष में नहीं। इस प्रकार ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विपरीत आक्षेपीय पट्टा जारी किया है। न्यायालय द्वारा मूल रेकार्ड चाहे जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा यह अवगत करवाया कि मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत का उक्त कृत्य घोर लापरवाही का प्रतीक है जबकि आक्षेपीय पट्टा एवं इससे संबंधित रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जाता है तथा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल पट्टा पत्रावली तलाश कर प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें। मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर, अजमेर
अपर कलेक्टर, अजमेर